International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(II), January - March, 2023, pp. 139-142

ग्रामीण आर्थिक विकास का स्वरूप

राजेश जाट*

सार

भारत में ग्रामीण जीवन एक लम्बे समय तक परम्परावादी और अपरिवर्तनशील बना रहा। महिलाओं की स्थिति भी स्थिर बनी रही और घर की चार दिवारों तक सिमटी रही स्वतन्त्रता के बाद यह महसूस किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन लाये बिना और महिलाओं के विकास के बिना भारतीय समाज का विकास नहीं किया जा सकता। स्वतन्त्रता के पश्चात् ग्रामीण विकास के लिए अनेक सामाजिक–आर्थिक प्रयत्न किये। ग्रामीणों के चतुर्दिक विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना लागू की गयी। किसानों को नये भूमि अधिकार दिये गये, शिक्षा के प्रसार के लिये स्कूलों की स्थापना को विशेष महत्व दिया गया तथा गाँवों को नगरों से जोड़ने के लिए नयी सड़कों का निर्माण किया गया। ग्राम पंचायतों की स्थापना की गयी और अनेक समाज–कल्याण कार्यक्रम आरम्भ किये। कृषि की उन्नत प्रयत्नों के फलस्वरुप भारत के परम्परागत ग्रामीण जीवन में परिवर्तन होने लगा। भारत देश में नगरीयकरण ने शिक्षा वैयक्तिक स्वतन्त्रता और तार्किक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देकर स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगरीयकरण में बदलाव के प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। नगरों में बाल विवाह की जगह विलम्ब विवाह को प्रोत्साहन मिला है विधवा पुनर्विवाह को बुरी दृष्टि से नहीं देखा जाता है नगरों में दहेज के आधार पर स्त्रियों के उत्पीडन में कमी हुई है। स्त्रियों द्धारा आर्थिक जीवन में प्रवेश करने से पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हुई है। बहुत शिक्षित महिलायें चिकित्सा, शिक्षा, टैक्नोलॉजी तथा प्रशासन के क्षेत्र में उच्च पदों पर आसीन हैं।

शब्दकोशः *वैवाहिक, सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षणिक।*

प्रस्तावना

मनोरंजन, भ्रमण और गोष्ठियों में महिलाओं की रुचि बढ रही है नगरीयकरण ने स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन लाने में सराहनीय कार्य किया है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश व्यक्ति स्त्रियों द्धारा नौकरी करने, उच्च शिक्षा ग्रहण करने अथवा परिवार के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने को न केवल सन्देह की दृष्टि से देखते हैं बल्कि इसे अपने अहम् के विरुद्ध भी मानते हैं।

भारत में स्वतन्त्रता के तुरंत पश्चात् संविधान और नए सामाजिक अधिनियमों के द्धारा जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। नगरों में स्त्रियों ने सामाजिक और आर्थिक दासता के पुराने बन्धनों को तोड़कर महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त की हैं। भारत में स्वतन्त्रता के समय जहाँ 1000 स्त्रियों में केवल 54 स्त्रियाँ साक्षर थीं, वहीं आज यह संख्या बढकर लगभग 411 हो गई है। इस समय विभिन्न आयु के समूहों में पाँच करोड़ से भी अधिक लडकियाँ स्कूलों आरै कालेजों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आज लडकियों ने विज्ञान, कला और वाणिज्य की शिक्षा के साथ व्यावसायिक और राजनीतिक शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों द्धारा स्त्रियों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि मानसिक स्तर पर वे किसी भी तरह पुरुषों से निम्न नहीं हैं।

आज स्त्रियाँ अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्णतया पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं। शिक्षा की प्रगति तथा बदलती हुई मनोवृतियों के प्रभाव से अब सभी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है उच्च स्तर की प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में भी स्त्रियों की संख्या बढती जा रही है

* सहायक आचार्य, भूगोल, राजकीय महाविद्यालय, आसीन्द, भीलवाडा, राजस्थान।

आज स्त्रियाँ बडे–बडे उद्योगों का सचं ालन कर रही हैं तथा चिकित्सकों एवं सलाहकारी सेवाओं में उनकी संख्या निरन्तर बढती जा रही है मध्यम और उच्च वर्ग में भी स्त्रियों द्वारा आर्थिक क्रियाएँ करने को अब अनैतिकता के रुप में नहीं देखा जाता इसके विपरीत जीविका उपार्जित करने वाली स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को ऊँचा समझा जाने लगा है आर्थिक क्षेत्र में जैसे–जैसे स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता कम होती जा रही है। परिवार और समाज में भी उनका सम्मान बढता जा रहा है। आर्थिक आत्मनिर्भरता से स्त्रियों का आत्मविश्वास बढा है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके विचारों को महत्व मिलने लगा है।

वैवाहिक समस्याएँ

विवाह के क्षेत्र में स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार दिये गए हैं। इसके बाद भी स्त्रियों के जीवन से सम्बन्धित विवाह सम्बन्धी परम्परागत समस्याओं में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल–विवाह के प्रचलन में किसी तरह की कमी नहीं हुई है। एक सर्वेक्षण के अनुसार श्रमिक और मेहनतकश वर्ग में 29 प्रतिशत लड़कियों के विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले कर दिये जाते हैं इसी के फलस्वरूप ऐसी लड़कियों के स्वास्थ का स्तर हमेशा निम्न बना रहता है। स्त्रियों के जीवन में दहेज की समस्या आज भी एक बडा अभिशाप है कोई स्त्री चाहे कितनी कुशल सुशील आर शिक्षित क्यों न हो उसके माता पिता द्वारा वर पक्ष को विवाह के समय दहेज देना आम परम्परा बन चुकी है दहेज से संतुष्ट न होने के कारण सास–ससुर पति तथा ननद के द्वारा स्त्री को प्रताड़ित करना एक जघन्य अपराध के रूप में नहीं देखा जाता। दहेज के कारण ही हमारे समाज में बेमेल विवाह को भी स्त्री द्वारा चुपचाप सहन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। स्त्रियों के वैवाहिक जीवन से सम्बन्धित एक प्रमुख समस्या तलाक की समस्या है। सन् 1955 से कानून के द्वारा स्त्रियों को भी अपने पति के दोषी होने पर तलाक देने का अधिकार दिया गया है लेकिन व्यावहारिक रूप से तलाक का अधिकार आज भी पुरूषो के पक्ष में है। पत्नी से असन्तुष्ट होने पर पति द्वारा अपनी पत्नी को छोड़ देना एक सामान्य सी बात है तथा छोड़ी हुई स्त्री अपना पुनर्विवाह भी नहीं कर सकती बहुपत्नी विवाह भी एक मुख्य समस्या है। कानून द्वारा आज भी मुसलिम तथा जनजातीय पुरूषों को बहुपत्नी विवाह का अधिकार मिला हुआ है। इसके फलस्वरूप स्त्रियों को परिवार में कोई प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती वरन् वे अपने प्राकृतिक अधिकारों से भी वंचित हैं। भारत में सभी धर्मो से सम्बन्धित स्त्रियों को अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने का कानूनी अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद भी यदि किसी विधवा द्वारा पुनर्विवाह किया जाता है तो साधारणतया समाज में उसे सम्मानित स्थान नहीं मिल पाता। पहले विवाह से उत्पन्न सन्तानों की नये परिवार में पूरी तरह उपेक्षा करना सामान्य सी बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विधवा पुनर्विवाह को एक सामाजिक अपराध के रुप मे देखा जाता है स्त्री द्वारा अर्न्तजातीय विवाह करना शिक्षित और प्रगतिशील विचारों वाले परिवारों में भी एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है स्त्री द्वारा अपने से भिन्न जाति अथवा धर्म के पुरुष से विवाह करने के प्रस्ताव का परिवार में इतना विरोध होता है कि इस स्थिति में साधारणतया लडकी को अपने परिवार में सभी तरह से अपमानित होने के साथ ही अक्सर आर्थिक सुख–सुविधाआं से वंचित होना पडता है यह नैतिकता का एक दोहरा माप दण्ड है जिसकी सबसे ज्यादा शिकार स्त्रियाँ ही हैं।

सामाजिक समस्याएँ

कानून के द्वारा यद्यपि स्त्री तथा पुरुषों को समान सामाजिक अधिकार दिए गए है लेकिन सामाजिक क्षेत्र में ऐसे सभी अधिकार अर्थहीन है सर्वप्रथम समाज में स्त्रियों की परिस्थिति लगभग सभी क्षेत्रों में पुरुषों के आधीन हैं समुदाय में जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें स्त्रियों कि इच्छाओं का कोई महत्व नहीं होता। गाँवों में चाहे जाति पंचायत हो अथवा कोई सार्वजनिक संगठन, यह आशा की जाती है कि स्त्रियाँ अपने आप को उनसे दूर रखें। पुरुष–प्रधान समाज में छोटी–छोटी बातों पर स्त्रियों को प्रताड़ित और अपमानित होना पड़ता है। भारतीय समाज में लोगों की सामान्य मनोवृत्ति स्त्री पुरूषों की भूमिका में विभेद करने की रही है घर के बाहर एक पुरुष चाहे शारीरिक श्रम के द्वारा आजीविका उपार्जित करता हो लेकिन घर के अन्दर वह किसी भी तरह का काम करना अपने लिए अपमानजनक समझता है कोई स्त्री चाहे कितनी भी कार्यकुशल क्यों ना हो उससे यह आशा

की जाती है कि वह अपना सम्पूर्ण समय बच्चों के पालन–पोषण और घरेलू कार्यो में ही व्यतीत करे। समाज में स्त्रियों की सामान्य बीमारियों के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जाता अधिकांश स्त्रियाँ जहाँ कुपोषण कि शिकार रहती हैं वहीं उनकी जीवन–अवधि भी पुरुषों की तुलना में कम रह जाती है।

पारिवारिक समस्याएँ

भारत में एक लम्बे समय से संयुक्त परिवारों का प्रचलन रहा है जिसमें परिवार के सभी अधिकार किसी पुरुष कर्ता के हाथों में ही रहते हैं संयुक्त परिवारों में स्त्रियों की दशा दासी–जीवन से अच्छी नहीं कही जा सकती। परिवारों में पुरुष सदस्यों की सेवा करना उनका एकमात्र धर्म समझा और समझाया जाता है आज संयुक्त परिवारों की संख्या में काफी कमी हो जाने के बाद भी स्त्रियों द्वारा सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने को अच्छा नहीं माना जाता पुरुष की सन्देहपूर्ण मनोवृत्ति स्त्रियों को घर के दायरे तक ही सीमित रखना चाहती हैं। आज स्त्रियों में जैसे–जैसे शिक्षा और सामाजिक जागरूकता बढती जा रही है उनकी पारिवारिक समस्याएँ पहले से गंभीर होती जा रही हैं। शिक्षा के प्रभाव से धार्मिक अन्धविश्वासों और स्मृतिकालीन मूल्यों का प्रभाव जैसे–जैसे कम हो रहा है स्त्रियाँ पति को न तो देवता मानती हैं और न ही पुरुष के दुराचार को अपने भाग्य का परिणाम मानने के पक्ष में हैं इसके फलस्वरुप स्त्रियों के मानसिक तनाव में वृद्वि हो रही है अक्सर यह पति–पत्नी के बीच पृथक्करण अथवा विवाह विच्छेद का कारण बन सकती हैं। इस समस्या को हम नैतिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों तथा आधुनिकीकरण का परिणाम मान सकते हैं।

शैक्षणिक समस्याएँ

भारत में स्त्रियों की एक प्रमुख समस्या उनके शैक्षणिक जीवन से सम्बन्धित है। सन 1991 की जनगणना के अनुसार पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत जहाँ 64.13 था वहीं स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत केवल 39.29 पाया गया। आज भी समाज में शिक्षा के दृष्टिकोण से लड़कों और लड़कियों के बीच एक स्पष्ट विभेद करने की प्रवृति बनी हुई है। अधिकांश माता–पिता लड़कियों को शिक्षा देने की जगह उन्हें घरेलू काम सिखाना अधिक अच्छा समझते हैं गाँवों में लडकियो को धार्मिक शिक्षा मिलने के कारण जीवन के आरम्भ में उनमें तरह–तरह, के अन्धविश्वास और भाग्यवादी विचार विकसित होना आरम्भ हो जाते हैं कुछ प्रगतिशील परिवारों में भी लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा देना इस कारण अच्छा नहीं समझा जाता कि उच्च शिक्षा के बाद उनका विवाह करना अधिक कठिन हो जाता है। पिछले 15–20 वर्षों से बहुत सी लड़कियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके चिकित्सा प्रशासन तथा अनेक दूसरे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है लेकिन कुल जनसंख्या में यदि ऐसी स्त्रियों के प्रतिशत को देखा जाए तो वह बिल्कुल नगण्य है। शिक्षा की कमी के कारण स्त्रियों को परिवार में भी वह सम्मान नहीं मिल पाता जो समतावादी मूल्यों के अनुसार उन्हें मिलना चाहिए।

आर्थिक समस्याएँ

कार्ल मार्क्स ने यह भविष्यवाणी की थी कि भारतीय समाज में स्त्रियाँ और पुरुष जब आर्थिक कार्यो में समान रुप से संलग्न होने लगेंगे तब स्त्रियों और पुरुषों के बीच पाई जाने वाली असमानता स्वयं ही समाप्त हो जायेगी। भारत में आज कारखानों चाय–बागानों निर्माण कार्यों तथा दूसरे क्षेत्रों में जो स्त्रियाँ पुरुषों के समान काम करती हैं। उन्हें पुरुषों की तुलना में मिलने वाली मजदूरी आज भी बहुत कम है स्त्रियों की आर्थिक समस्याओं को काम–काजी महिलाओं के जीवन से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। एक ओर पुरुष की तुलना में कामकाजी महिलाओं की संख्या बहुत कम हैं लेकिन जो स्त्रियाँ विभिन्न सेवाओं द्वारा आजिविका उपार्जित कर रही हैं उन पर परिवार का दोहरा भार आ जाता है दिन भर कार्यालय, स्कूल, बैंक की देखभाल के अतिरिक्त वे सभी काम करने पडते हैं जो सामान्य गृहणियों के द्वारा किये जाते हैं। जीविका उपार्जन में सलंग्न होने के बाद भी स्त्रियों का जीवन आर्थिक परतन्त्रता से घिरा हुआ है। स्त्रियाँ जो धनोपार्जन करती हैं उस पर विवाह से पहले उनके माता पिता का और विवाह के बाद पति का अधिकार रहता है अपने ही द्वारा उपार्जित धन का स्त्रियाँ अपनी इच्छा से उपयोग नहीं कर पाती। स्त्रियों की एक प्रमुख आर्थिक समस्या यह है कि जो पुरुष स्वयं अपनी पत्नी को कोई नौकरी करने के प्रेरणा देते है वे भी यह पसन्द नहीं करते कि स्त्रियाँ कार्यालय में अपने

सहकर्मियो के साथ पुरुषों की तरह स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करे। इससे स्त्रियों का व्यक्तित्व कुंठित होने लगता है अनेक मध्यमवर्गीय परिवारों में काम–काजी लड़की को परिवार की आय का एक प्रमुख साधन समझने के कारण बहुत से माता–पिता ऐसी लडकी का विवाह करने से कतराते हैं जो युवक कामकाजी लड़कियों से विवाह करने को प्राथमिकता देते हैं। उनका दृष्टिकोण भी एक जागरुक पत्नी को प्राप्त करना नहीं बल्कि साधारणतया अपने आराम के लिए अधिक सुख–सुविधाऐं जुटाना होता है। स्त्रियों की सहभागिता के कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सुविधाओं में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी कि उनके परिवार में बढते हुए तनावो में।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की असीम सम्भावनायें हैं साथ ही चुनौतियाँ भी। इनके बेहतर तकनीकी प्रबधंकीय निगरानी की सुदृढता की दिशा निगरानी व प्रबंध की जरुरत है। सरकार के ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिनमें महिला संवेदी कल्याण कार्यक्रम सहायक सेवाएँ और जागरुकता फैलाने पर जोर दिया गया है। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के कार्यक्रमों के पूरक के तौर पर काम करते हैं। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक आरै सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाना है ताकि वे राष्ट्रीय विकास के प्रयासों में पुरुषों के समान और सक्रिय भूमिका अदा कर सकें राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति 2001 में महिलाओं के साथ भेदभाव को दूर करने के लिए तीन नीतिगत दृष्टिकोण अपनाए जाने की बात कही गई है। जरुरी है कि विधिक प्रणाली और अधिक उत्तरदायी और महिलाओं की आवश्यकता के प्रति अधिक संवेदनशील हो इसके साथ ही विशेष प्रयासों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रुप से और सशक्त बनाया जाना चाहिए आंकडे बताते हैं कि भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति चितं नीय है अतः सच्चाई को ढकने से काम नहीं चलेगा प्रतीकवाद और बहानों का सहारा लिए बिना हमें आगे आकर समस्या का समाधान करना होगा परन्तु केंवल सरकारी हस्तक्षेप से काम नहीं बनेगा बेहतर परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब दृढ प्रतिज्ञ महिलाएं स्वयं अपने आप को सशक्त बनाने का प्रयास करेंगी और इससे उन्हें समाज के प्रबुद्ध वर्ग का प्रोत्साहन मिलेगा महिला विकास पर भारत सरकार की नीति में स्वतंत्रता के बाद से अनेक परिवर्तन हुए हैं। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया जब महिलाओं के कल्याण से हटकर महिलाओं के विकास पर जोर देने की नीति अपनायी गई आठवीं योजना में पुनः विकास प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदार बनाने पर जोर दिया गया आज समावेशी विकास पर हमारा ध्यान केन्द्रित है। ऐसे में महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति हमारी जागरुकता में और वृद्धि हुई है। समाज के निचले स्तर से महिलाओं का सशक्तीकरण होना चाहिए और इसके लिए उनके प्रति मूल्यों और व्यवहार में परिवर्तन के साथ–साथ उन्हें आर्थिक रुप से समर्थ बनाने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि सभी समस्याएँ असमानता के इर्द–गिर्द घूमती हैं। इसलिए महिलाओं के साथ व्यवहार में समानता आरै देश के विकास मे उनकी पूरी सहभागिता के लिए कदम उठाना आवश्यक है। यहाँ पर स्वामी विवेकानन्द की इस उक्ति को उद्धत करना उपयुक्त होगा जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा विश्व के कल्याण की कोई संभावना नही है। एक पक्षी के लिए पंख से उडान संभव नहीं है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गौतम, नीरज कुमार : गाँवों का बदलता स्वरूप, अंक–07, वॉल्यूम–58, न.–12 कुरुक्षेत्र, अक्टूबर–2012, पृ. 37–42
2. चन्द्र, अखिलेश : मिला रोजगार, रुका पलायन, अंक–04, वॉल्यूम–58, कुरुक्षेत्र, फरवरी–2012, पृ.14–19
3. पटेल अमृत : कृषि क्षेत्र में महिलाएँ योजना, वर्ष–56, अंक–6, जून–2012, पृ.–11–13
4. फारुखी, उमर : महिला सशक्तिकरण में पंचायतीराज की भूमिका, अंक–07, वॉल्यूम–56, न.–12 कुरुक्षेत्र, अक्टूबर–2012, पृ. 37–42
5. वर्मा, जी. आर. : स्त्री अधिकारिता और कानून, योजना, वर्ष–56, अंक–6, जून–2012, पृ.–53–54

❖◆❖